न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव आर.ए.एस.

वाद संख्याः– 48/23

सोहनराम पुत्र सहीराम आयु 15 वर्ष जरीये संरक्षक पिता सहीराम पुत्र बनाराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. बनाराम पुत्र आसुराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
2. सहीराम पुत्र बनाराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
3. संतु पुत्री बनाराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
4. सुशीला पुत्री बनाराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
5. सुन्दर पुत्री बनाराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
6. मुन्नीदेवी पत्नि भंवराराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
7. राकेश पुत्र भंवराराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
8. नानूराम पुत्र भंवराराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
9. पेमादेवी पत्नि भेराराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
10. उप पंजियक अधिकारी बीदासर जिला चूरू
11. उप पंजियक अधिकारी कातर छोटी जिला चूरू
12. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

1. हरीराम पुत्र सहीराम आयु 13 वर्ष जरीये संरक्षक पिता सहीराम पुत्र बनाराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
2. सुमन पुत्री सहीराम आयु 17 वर्ष जरीये संरक्षक पिता सहीराम पुत्र बनाराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
3. गोमती पुत्री सहीराम आयु 11 वर्ष जरीये संरक्षक पिता सहीराम पुत्र बनाराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
4. बनी पुत्री सहीराम आयु 09 वर्ष जरीये संरक्षक पिता सहीराम पुत्र बनाराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू

गौण प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक, संशोधन एवं चिर निषेधाज्ञा डिग्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–

1. मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी
2. पैरोकार राज

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30-4-2026

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादी के दादा बनाराम पुत्र आसुराम के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 11 ग्यारह तादादी 3.4146 तीन दशमलव चार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

एक चार छः हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसे आगे वाद में "वादगत भूमि" के नाम से पुकारा गया है। वादगत भूमि वादी, गौण प्रतिवादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नो की खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग की भूमि है। वादगत भूमि खेत वादी एंव गौण प्रतिवादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 2 दो ता 9 नो की पैत्रिक व कोपार्सनरी सम्पति है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत पौत्र पौत्री का जन्म से ही दादा की सम्पति में हिस्सा कायम हो जाता है। इस कारण वादगत भूमि में वादी, प्रतिवादी संख्या 2 दो व गौण प्रतिवादी प्रत्येक का 1/42 एक बट्टा बियालीस हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 एक का 1/7 एक बट्टा सात हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 तीन ता 5 पांच प्रत्येक का 1/7 एक बट्टा सात हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 छः ता 8 आठ का संयुक्त 1/7 एक बट्टा सात हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 नो का 1/7 एक बट्टा सात हिस्सा नियत है। वादी, गौण प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण वादगत भूमि को संयुक्त काश्त करते आ रहे है एंव बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण था लेकिन पिछले एक साल से प्रतिवादी संख्या 01 एक के मन में बेइमानी आ गई। वह वादी एंव गौण प्रतिवादीगण से झगडा करने लगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष वादी एंव गौण प्रतिवादीगण ने अपनी हिस्सा भूमि संयुक्त काश्त कर ली लेकिन पुनः प्रतिवादी संख्या 01 एक की नियत खराब हो गई। प्रतिवादी संख्या 01 एक वादी एंव गौण प्रतिवादीगण को उनकी हिस्सा भूमि से वंचित करना चाहता है। प्रतिवादी संख्या 01 एक वादगत भूमि को विकय, हस्तातंरण, रहन, बैय, दान पत्र के जरीये खुर्द बुर्द करने पर लगा हुआ है। इस कारण वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपने हिस्सा भूमि की घोषणा कराये। इस कारण घोषित किया जावे कि वादगत खेत वादी एंव गौण प्रतिवादीगण के पैत्रिक कोपार्सनरी सम्पति के है जिसमें वादी, गौण प्रतिवादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 02 दौ संयुक्त रूप से 1/7 एक बट्टा सात हिस्सा के खातेदार कृषक है। इस कारण वादी वादगत भूमि में खातेदारी अधिकारों की घौषणा करवाकर राजस्व रेकार्ड में संशोधन करवाने का कानूनी अधिकारी है क्योंकि वादगत भूमि वादी एंव गौण प्रतिवादीगण के संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित कोपार्सनरी सम्पति की है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 एक से राजस्व रेकार्ड में संशोधन कराने के लिए एंव वादी की हिस्सा भूमि के कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग में बाधायें उत्पन्न न करने के लिए दिनांक 01.11.2023 को निवेदन किया लेकिन वोह मानने से साफ इनकार हो गया। प्रतिवादी संख्या 01 वादी को ऐलानियां धमकियां दे रहा है कि उन्होनें वादगत भूमि को विकय करने की बात पक्की कर ली है व साई भी प्राप्त कर ली है। अब वो शीघ्र ही किसी अन्य के पक्ष में विकय पत्र निष्पादित करवाकर ही रहेगा। विकय पत्र निष्पादित ना होने की सुरत में वादगत भूमि को वसीयत, दानपत्र करके ही रहेगा। यही दावे का कारण है। वादी को वादाधार वादगत खेत वादी के दादा के खातेदारी का होने से प्राप्त है। राजस्थान सरकार वाद मे आवश्यक पक्षकार है इस कारण कानुनी आपत्तियों का मध्य नजर रखते हुए उसे दावा में प्रतिवादी संख्या 12 बारह के रूप में पक्षकार

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

संयोजित किया गया है। घोषणात्मक वाद में राज्य सरकार को पक्षकार बनाने से पूर्व धारा 80(2) सी. पी.सी. का 2 दो माह की अवधि का कानुनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का है एंव राज्य सरकार को दो माह को नोटिस दिया गया तो समय लगेगा तब तक प्रतिवादीगण अपने गलत उद्देश्य में सफल हो जायेगे तो वादी के वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए वादी द्वारा दावा पेश करने के लिए अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से छुट की अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है। वादी के साथ गौण प्रतिवादीगण का हित समान रूप से नियत है। गौण प्रतिवादीगण वर्तमान में गांव से बाहर होने के कारण उन्हें वाद में वादी के रूप में पक्षकार संयोजित नहीं किया जा सका ओर कानूनी आपत्तियों को मध्य नजर रखते हुए उन्हे वाद में गौण प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। वादगत भूमि में वर्तमान में वादी का नाम खातेदारी में अंकित नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 एक के मन में बेईमानी आ गई है। प्रतिवादी संख्या 01 एक वादगत खेत को विकय, हस्तान्तरण, रहन आदि कर देगा तो वादी के अधिकारों के विपरित असर पडेगा। वादीं प्रतिवादी संख्या 01 एक का बलपूर्वक मुकाबला करने में असमर्थ है इसलिए प्रतिवादीगण को न्यायालय से जरीये चिर निषेधाज्ञा की डिकी से वर्जित करवाया जाना आवश्यक हो गया है कि वोह वादी के संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित कोपार्सनरी सम्पति के खेत को जब तक रेकार्ड संशोधन नहीं हो जाता तब तक वादगत खेत के किसी भी हिस्से या अंश को विकय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें। इस दौषपूर्ण कृत्य से यदि प्रतिवादीगण को नहीं रोका गया तो वादी को अपूर्तीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सुरत में पूर्ण नहीं हो पायेगी। प्रतिवादीगण को वर्जित किया जावे की वोह वादी के कब्जे काश्त एंव हिस्सा की भूमि को काश्त करने से न रोके व ओर न ही उसको जबरन हिस्से पांति की भूमि से बेदखल करें ओर ना ही कोई ऐसा कार्य करें जिससे वादी के वैध अधिकारों के विपरित प्रभाव पडता है। दावा घोषणात्मक, राजस्व रेकार्ड में संशोधन व चिर निषेधाज्ञा डिकी प्राप्ती का है तथा वादगत खेत रोही ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि भीतर प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 व गौण प्रतिवादीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पेरोकार राज की तरफ से दावा में राजहित नहीं होना अंकित किया है। दावा में किसी भी प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश नहीं करने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी ने वाद के समर्थन में वादगत भूमि की जमाबंदी संवत 2075–2078 की प्रमाणित प्रति पेश की जिससे साबित होता है कि वादगत भूमि पुस्तेनी है।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चुरू)

बहस वादी वकील की सुनी गई। वादी वकील ने अपनी बहस में दावा को निर्णित करने का निवेदन किया। वादी वकील की बहस व दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर सिद्ध होता है कि वादगत भूमि वादी की पुस्तैनी भूमि है ओर पुस्तेनी भूमि में वादी का हित निहित है। किसी भी पक्षकार द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया।

पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। प्रकरण हाजा में वादी की ओर से वादगत भूमि उनके संयुक्त हिन्दु परिवार की कोपार्सनरी सम्पति होना तथा वादगत भूमि वादी के दादा बनाराम के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से भी भली भांति जाहिर होता है कि वादगत भूमि वादी की पुस्तेनी भूमि है। पक्षकारों के आपस में वाद के किसी तथ्यों को लेकर कोई विवाद ना हो तथा पक्षकारों के मध्य सांमजस्य की भावना बनी रहे व वाद पत्र की प्रकृति को देखते हुए वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर वादी का वाद डिक्री योग्य होने से स्वीकार कर इस प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही ग्राम उंटालड खसरा संख्या 11 तादादी 3.4146 हेक्टेयर भूमि में खातेदार बनाराम पुत्र आसुराम के स्थान पर बनाराम पुत्र आसुराम हिस्सा 37/42 व सोहनराम, हरीराम, सुमन, गोमती, बनी पिता सहीराम जाति जाट निवासी उंटालड हिस्सा 5/42 ब.हि.ब. दर्ज की जावे। उपरोक्तानुसार खातेदारी दर्ज करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् स्वंय वहन करें। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/4/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)